न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 107/2020

1. जयदीप पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।

:– **वादी**

ब ना म

1. सतवीर पुत्र रामपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
2. मंजु पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
3. सुनिल कुमार पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : **वादी**
वकील श्री प्रभूराम गोदारा: **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 26.10.2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं 43/46 के खसरा सं 41 की 5.021है0 खसरा सं 102 की 12.279है0 खसरा सं 123 की 5.628है0 खसरा सं 182 की 0.759है0 कुल 23.687है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 1 सतवीर के नाम 10/81 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो पहले वादी के दादा रामपत की खातेदारी हुआ करती थी। रामपत से उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 सतवीर ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही विनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 की ओर से आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया। उभयपक्षकारों द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही ... पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 जयदीप ... सतवीर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही शिवदानपुरा खाता सं 43/46 ... 2072-75 प्रदर्श 1 नामांतरण रजिस्टर गांव शिवदानपुरा ई0स0 913 प्रदर्श 2 ... रोही शिवदानपुरा खाता सं 56/59 प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम शिवदानपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही शिवदानपुरा खाता सं 43/46 संवत 2072–75 प्रदर्श 1 नामांतरण रजिस्टर गांव शिवदानपुरा ई0स0 913 प्रदर्श 2 जमाबंदी रोही शिवदानपुरा खाता सं 56/59 प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये। उनमें वाद भूमि वादी के दादा रामपत के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में सतवीर के वारिसान में 2 पुत्र जयदीप और सुनील कुमार तथा इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। तथा प्रतिवादी सं 1 सतवीर के नाम रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता से 56/59 के खसरा सं 122 की कुल 1.909है0 में से 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है को यथावत प्रतिवादी सं 1 सतवीर के नाम रखा जावें। वाद भूमि में प्रतिवादी सं 1 सतवीर ने अपने हक हिस्से को वादी व प्रतिवादी सं 3 के हिस्से में त्याग कर शुन्य कर लिया इस प्रकार प्रतिवादी सं 1 सतवीर का नाम कलमजन कर वादी तथा प्रतिवादी सं 3 सुनील कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित कियें । इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर स्वीकार योग्य होने पर स्वीकृत किया जाता है।

<u>कियात्मक आदेश</u>

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं 43/46 के खसरा सं 41 की 5.021है0 खसरा सं 102 की 12.279है0 खसरा सं 123 की 5.628है0 खसरा सं 182 की 0.759है0 कुल 23.687है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 1 सतवीर के नाम 10/81 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं 1 सतवीर का नाम कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी सं0 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं 1 सतवीर द्वारा अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 3 के हिस्से में त्याग कर शुन्य कर लिया अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी जयदीप व प्रतिवादी सं 3 सुनील कुमार बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:49 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 107/2020

अनवान :

1. जयदीप पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।

:– **वादी**

ब ना म

1. सतवीर पुत्र रामपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
2. मंजु पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
3. सुनिल कुमार पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री प्रभूराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताविक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं 43/46 के खसरा सं 41 की 5.021है0 खसरा सं 102 की 12.279है0 खसरा सं 123 की 5.628है0 खसरा सं 182 की 0.759है0 कुल 23.687है0 खातेदारी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं 1 सतवीर के नाम 10/81 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं 1 सतवीर का नाम कलमजन कर वादी एवं प्रतिवादी सं0 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं 1 सतवीर द्वारा अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 3 के हिस्से में त्याग कर शुन्य कर लिया अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी जयदीप व प्रतिवादी सं 3 सुनील कुमार बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:03:49 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner